न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2018 (GCMS 2018/00012)	05.01.2018	16.07.2021

अनवान

शिवशंकर पिता चुन्नीलाल ब्राह्मण, उम्र 70 वर्ष, निवासी रेवाडा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये पटवार हल्का रेवाडा, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट्स

–:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार राशमी के प्रकरण संख्या 214/2017 आदेश दिनांक 22.12.2017 ::–

उपस्थिति :–	श्री सीएम जणवा	अधिवक्ता अपीलांट
	श्री भैरूलाल सालवी	राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट पटवार हल्का रेवाडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व ग्राम रेवाडा की आराजी नम्बर 661 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 0.01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार बना कर बाडा बना रखा हैं इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को मौके से बेदखली व जुर्माना हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2017 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.02.2017 को अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा तथा उसके पश्चात् आराजीयात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिक्रमण के संबंध में पटवार हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से स्पष्ट कब्जा रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2017 को प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 607/1 रकबा 15 बीघा जो किस्म आबादी होकर विवादित आराजीयात आबादी में स्थित होना अंकित किया तथा भौतिक रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये बिना अपीलांट को सुने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.12.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए बेदखली व अपीलांट की पक्की दीवार को हटाये जाने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट की ओर से यह प्रथम अपील वैधानिक आधारों पर पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की और से अतिक्रमित भूमि के बारे में अपीलांट की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट बनाने हेतु दिनांक 10.10.2017, 28.11.2017 को पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर मौके की रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया फिर भी उक्त सारे प्रार्थना पत्र पर बिना किसी निर्णय पारित किये मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त अतिक्रमण के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी द्वारा एक जांच सचिव ग्राम पंचायत राशमी से करवाई गई जिसमें स्पष्ट रिपोर्ट हो रखी है कि आराजीयात आबादी भूमि में स्थित होकर ग्राम पंचायत रेवाडा द्वारा दिनांक 31.07.2003 को पट्टा संख्या 13 व 14 जारी हो रखे है उससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात आबादी भूमि में स्थित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस अतिक्रमित भूमि हेतु बेदखली व दीवार ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है वहां पर सार्वजनिक भगवान शिवजी का मंदिर बना हुआ है उसके पास ही चबुतरा व उस पर दो आम के पेड़ लगे हुए है, जहां पर सम्पूर्ण ग्रामवासियान आकर शिवजी की पूर्जा–अर्चना आदि करते है तथा विवादित स्थल ग्राम रेवाडा के लोगो की आस्था का केन्द्र होकर सार्वजनिक स्थान होकर आबादी क्षेत्र में स्थित है। वहां पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सारे तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मनमकसुद तरीके से जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतिक्रमण के बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर 02.04.2017 अंकित हो रखी है जबकि प्रार्थना पत्र 20.02.2017 को ही प्रस्तुत किया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रार्थी/अपीलांट की अनुपस्थिति में कायम की गई है व अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट हेतु कई मर्तबा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार का आदेश पारित किये जो बेदखली का आदेश पारित किया हैं वह पूर्णतया अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा कई बार जाकर तारीख पेशी एवं प्रकरण की जानकारी करने पर भी कोई सूचना नहीं दी गई व सीधे ही बिना अपीलांट को सुने ही एक तरफा में आदेश पारित कर दिया जो विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अंदर मियाद आवश्यक कोर्ट फीस पर मय प्रोसेस व नोटिसेज के नकल अपील वास्ते तलबी रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत हैं साथ ही प्रमाणित नकल आदेश पेश है। अपील अपीलांट्स श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से आपके ही श्रवणाधिकार में है। अन्य उजरात वक्त बहस अर्ज किये जायेगे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2017 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे ।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार राशमी के पत्रांक/राजस्व/मूल/2018/19 दिनांक 10.01.2018 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 214/2017 निर्णय दिनांक 22.12.2017 अनवानी सरकार बनाम शिवशंकर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता हैं। दिनांक 08.07.2021 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से पत्रावली में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर मूल पत्रावली पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया।

अपीलांट्स की और से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद अवधि प्रस्तुत की गई है। इससे अपील अपीलांट्स को गुणावगुण पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट पटवार हल्का रेवाडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व ग्राम रेवाडा की आराजी नम्बर 661 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 0.01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार बना कर बाडा बना रखा है इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को मौके से बेदखली व जुर्माना हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2017 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.02.2017 को अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा तथा उसके पश्चात् आराजीयात पर अतिक्रमण के संबंध में पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्पष्ट कब्जा रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2017 को प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 607/1 रकबा 15 बीघा जो किस्म आबादी होकर विवादित आराजीयात आबादी में स्थित होना अंकित किया तथा भौतिक रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये बिना अपीलांट को सुने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.12.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए बेदखली व अपीलांट की पक्की दीवार को हटाये जाने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट की ओर से यह प्रथम अपील पेश है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म पाल बिलानाम दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा बिलानाम भूमि हो कर राजकीय भूमि है जिस पर अपीलांट नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार बिलानाम की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड है जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये एवं अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया और बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 अपीलांट की बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर विधिवत किया गया है। अतः अधीनस्थ तहसीलदार, राशमी के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की और से अतिक्रमित भूमि के बारे में अपीलांट की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट बनाने हेतु दिनांक 10.10.2017, 28.11.2017 को पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर मौके की रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया फिर भी उक्त सारे प्रार्थना पत्र पर बिना किसी निर्णय पारित किये मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त अतिक्रमण के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी द्वारा एक जांच सचिव ग्राम पंचायत राशमी से करवाई गई जिसमें स्पष्ट रिपोर्ट हो रखी है कि आराजीयात आबादी भूमि में स्थित होकर ग्राम पंचायत रेवाडा द्वारा दिनांक 31.07.2003 को पट्टा संख्या 13 व 14 जारी हो रखे है उससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात आबादी भूमि में स्थित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से परे जाकर जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस अतिक्रमित भूमि हेतु बेदखली व दीवार ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है वहां पर सार्वजनिक भगवान शिवजी का मंदिर बना हुआ है उसके पास ही चबुतरा व उस पर दो आम के पेड़ लगे हुए है, जहां पर सम्पूर्ण ग्रामवासियान आकर शिवजी की पूर्जा–अर्चना आदि करते है तथा विवादित स्थल ग्राम रेवाडा के लोगो की आस्था का केन्द्र होकर सार्वजनिक स्थान होकर आबादी क्षेत्र में स्थित है। वहां पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सारे तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मनमकसुद तरीके से जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतिक्रमण के बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर 02.04.2017 अंकित हो रखी है जबकि प्रार्थना पत्र 20.02.2017 को ही प्रस्तुत किया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रार्थी/अपीलांट की अनुपस्थिति में कायम की गई है व अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट हेतु कई मर्तबा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार का आदेश पारित किये जो बेदखली का आदेश पारित किया है वह पूर्णतया अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा कई बार जाकर तारीख पेशी एवं प्रकरण की जानकारी करने पर भी कोई सूचना नहीं दी गई व सीधे ही बिना अपीलांट को सुने ही एक तरफा में आदेश पारित कर दिया जो विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्क के समर्थन में ग्राम विकास आधिकारी रेवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.09.2016 का अवलोकन कराया एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मौका कमिश्नरी दिनांक 10.10.2017 एवं 28.11.2017 का दृष्टिपात कराया। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91 Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :
Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :
Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :
Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

विवादित भूमि किस्म पाल बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार राशमी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(44) में अतिक्रमी को परिभाषित किया गया है। उक्त प्रावधान अधिनियम में निम्नानुसार प्रावधित किये गये है।

5(44) "Trespasser"

shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड होकर राजकीय भूमि होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार राशमी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। विवादित आराजीयात राजकीय भूमि की श्रेणी की है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हल्का पटवारी रेवाडा द्वारा तहसीलदार राशमी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिस से तहसीलदार राशमी के पास कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार रहे है। विवादित आराजीयात आराजी संख्या 661 किस्म पाल बिलानाम के संबंध में अपीलांट यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट करने में असफल रहा है कि उक्त विवादित आराजीयात में अपीलांट का किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार निहित है, ऐसी स्थिति में अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(44) के तहत उक्त विवादित आराजीयात का अतिक्रमी होने से कार्यवाही के पर्याप्त आधार रहे है। इसके साथ ही अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.12.2021 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा जिस से दिनांक 22.12.2021 को अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी करार दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2021 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रश्नगत आराजीयात का अतिक्रमी करार दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विधिक भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है, किन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में कथन किया गया है कि जिस अतिक्रमित भूमि हेतु बेदखली व दीवार ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है वहां पर सार्वजनिक भगवान शिवजी का मंदिर बना हुआ है उसके पास ही चबुतरा व उस पर दो आम के पेड़ लगे हुए है, जहां पर सम्पूर्ण ग्रामवासियान आकर शिवजी की पूर्जा–अर्चना आदि करते है तथा विवादित स्थल ग्राम रेवाडा के लोगो की आस्था का केन्द्र होकर सार्वजनिक स्थान होकर आबादी क्षेत्र में स्थित है। वहां पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजीयात के संबंध में कमिश्नरी रिपोर्ट चाही गई। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2017 से खारीज किया गया है। हमने पटवार हल्का रेवाडा की रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 को अवलोकन किया। रिपोर्ट हल्का पटवारी में अवगत कराया गया है कि अतिक्रमी द्वारा निजी उपयोग हेतु पक्की दीवार बनाकार बाडा बना रखा है जिसकी नपती कर अतिक्रमण रिपोर्ट 1 बिस्वा पेश की उसमें कोई फसल नहीं है, न ही सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। निजी उपयोग हेतु अतिक्रमण कर रखा है, उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हम किता है। जबकि अपीलांट की और से प्रस्तुत रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी रेवाडा दिनांक 12.06.2016 में परिवाद की जांच में ग्राम विकास अधिकारी रेवाडा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कोई नाजायज कब्जा नहीं है एवं उक्त विवादित जमीन आबादी होकर ग्राम पंचायत रेवाडा द्वारा पट्टा संख्या 13 एवं 14 जारी किया गया है। उक्त रिपोर्ट की प्रति शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात के संबंध में विरोधाभासी तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होते है कि विवादित आराजीयात कृषि भूमि है अथवा आबादी भूमि है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य विवादित आराजीयात के संबंध में महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात के संबंध में पुख्ता जांच किया जाना अपेक्षित होकर आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी भी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन आदेश मनमाफिक तरीके से बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया जाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकट होता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.12.2017 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 में विधि के सुस्थापित सिद्धांतो की पालना नहीं की जाकर प्रक्रियात्मक त्रुटि किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को तहसीलदार राशमी को पुनः सुनवाई किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार राशमी प्रकरण संख्या 214/2017 निर्णय दिनांक 22.12.2017 अनवानी सरकार बनाम शिवशंकर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार राशमी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विवादित आराजीयात के संबंध में तहसीलदार राशमी स्वयं मौके पर अपीलांट शिवशंकर पिता चुन्नीलाल ब्राहम्ण की उपस्थिति में विवादित स्थल का पुख्ता निशानात से विधि अनुसार नाप–चौक कर कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार करे एवं रिपोर्ट पत्रावली में रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुऐं अज–सर्रे नव निर्णय पारित करें। अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी के समक्ष दिनांक 23.08.2021 को उपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **16.07.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested